श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, (टिहरी–गढवाल)–उत्तराखण्ड
Sri Dev Suman Uttarakhand University, Badshahithaul, (Tehri-Garhwal)-Uttarakhand–249199
Website: www.sdsuv.ac.in

Ref. No.: 7964/SDSUV/Affi/2023-24 Dated: 06 /12 /2023

कार्यालय ज्ञाप

कुलाधिपति / राजभवन सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश संख्या–1042 / जी0एस0(शिक्षा) / A11-251 / 2023, दिनांक–30 नवंबर, 2023 के अनुक्रम में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011(यथासंशोधित) के अध्याय–06 की धारा 33(1) के अन्तर्गत निम्न संस्थान / महाविद्यालय को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन / अस्थायी सम्बद्वता पर मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति / पूर्वानुमोदन निम्नानुसार छात्रहित में प्रदान की गयी है।

क्र	महाविद्यालय / संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता / सीट	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1	श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साईंस एण्ड टैक्नोलॉजी पौंधा मझौन वाया, प्रेमनगर, देहरादून।	बी0एड0	100 सीट	सत्र 2023–24
		एम0एड0	50 सीट	सत्र 2023–24

1. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गातिविधियों की पुष्टि का प्रमाण –पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान द्वारा N.C.T.E के मानकानुसार अध्ययनरत् छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण (Practical Training) एवं स्थानबद्व प्रशिक्षण इन्टर्नशिप हेतु जो व्यवस्था की गई है। तद्सम्बन्धी अभिलेख राजभवन सचिवालय को 02 माह के भीतर उपलब्ध कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय को अविलम्ब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।
3. पाठ्यक्रम में अग्रेत्तर अवधि विस्तारण हेतु मानक पूर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात् ही अग्रेत्तर अस्थायी सम्बद्वता विस्तारण की जायेगी।
4. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधायें शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक अर्हतायें, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियां, फैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
5. छात्रों के प्रवेश से पूर्व विशविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा यू0जी0सी0 / विश्वविद्यालय / शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर दी गयी है। उक्त सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का समय–समय निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नही पायी जाती है अथा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नही किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानो की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति / प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।
6. संस्थान / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय / शासन एवं कुलाधिपति के आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
7. छात्रों से विश्वविद्यालय / शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा, यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है, तो संस्थान के विरूद्व विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
8. यदि संस्थान द्वारा कुलाधिपति / शासन के आदेशों का उल्लघंन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शासन द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए दी गयी अनापत्ति को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
9. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी के सदस्यों के वेतन का भुगतान बैंक में फैकल्टी के सदस्यों के नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय / निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्था पूर्ण फैकल्टी नही पायी जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नही होती है, तो जारी अनापात्ति के सापेक्ष उक्त संस्थान के सम्बन्धित पाठ्यक्रम को रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।
10. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 छात्र / छात्राओं को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
11. संस्थान द्वारा उक्त शर्तो का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी अन्यथा आगामी अस्थायी सम्बद्वता स्वीकृति नहीं की जायेगी।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(के0 आर0 भट्ट),
कुलसचिव।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल, कुलाधिपति / राजभवन सचिवालय, देहरादून।
2. प्राचार्य / निदेशक, सम्बन्धित संस्थान।
3. निजी सचिव, मा0 कुलपति।
4. कार्यालय प्रति।

(के0 आर0 भट्ट),
कुलसचिव।